(155)

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ,मध्य प्रदेश

निगरानी प्रकरण कमांक /2015 निगरानी 899-I-15

मैसर्स गीतांजली मार्बल
एच.आई.जी. –1 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
कटनी म0प्र0

———आवेदक

श्री शैलेन्द्र गुप्ता द्वारा आज दि. 27-5-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27-5-15

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी
2. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (जिला पजींयक) कटनी

———अनावेदकगण

आवेदनपत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 56 उपधारा (4) स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत

सक्षिंप्त विवरण

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला कटनी के द्वारा प्रकरण क0 49/ब–103/ 2013–14/ मुद्रांक विधान की धारा 33 एवं 48 (ख) अन्तर्गत में पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 जो आवेदक को दिनांक.01.03.2015 को ज्ञात कराया गया है अर्थात उक्त आदेश सम्बन्धी सूचना दिनांक 01.03.2015 को आवेदक को कार्यालय से दी गयी है जो उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही प्राप्त की गयी है

श्रीमान जी ,

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-5-16	उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। २/ यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला कटनी व्दारा प्रकरण कमांक ४९ ब-१०३/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १२.११.२०१४ के विरूद्ध स्टाम्प अधिनियम१८९९ की धारा ५६ के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला कटनी ने आवेदक के हित में स्वीकृत खनिज लीज के अनुबंध को पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर तीस लाख की राशि जमा कराने के आदेश दिये हैं। ३/ निगरानी प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक व्दारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला कटनी व्दारा प्रकरण कमांक ४९ ब-१०३/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक १२.११.२०१४ के विरूद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि इस आदेश के विरूद्ध आवेदक को आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	